दिनांक : .9.2019

प्रति,

मा. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदीजी,

भारत सरकार, नई देहली

विषय : जनसंख्या का नियंत्रण और संतुलन करने हेतु कानून करना
और देशभर में समान नागरी कानून लागू करने के संदर्भ में .....

महोदय,

समान नागरी कानून की मांग अनेक वर्षों से देश के विविध घटकों द्वारा निरंतर की जा रही है । इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने १५ अगस्त को लाल किले से जोरदार भाषण दिया । इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदीजी ने कहा कि 'जनसंख्या का विस्फोट एक भयंकर समस्या बन सकती है । देश में कुछ लोगों को ही इसका भान है कि छोटा परीवार होगा, तो वे सुख से रह सकते हैं । वह एक प्रकार से देशभक्ति है' । देश में बहुसंख्य और अल्पसंख्य ऐसे दो जनसमूह माने जाते हैं । वर्तमान में अल्पसंख्याकों के नाम पर देश के मुसलमान समाज को आजतक बहुत सुविधाएं, छूट मिली है । उनपर न विवाह की संख्या में न बच्चों को जन्म देने का बंधन है । परिणाम स्वरूप उनकी जनसंख्या इस गति से बढ रही है कि धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होने के पश्चात भी कुछ ही दशकों में इंडोनेशिया इस मुसलमानबहुल देश के पश्चात अधिक मुसलमान जनसंख्यावाला भारत देश बनेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है ।

'जनसंख्या नियंत्रण' देश की सबसे बडी समस्या बन गई है । देश का विकास, आर्थिक स्थिति, रहनसहन का स्तर और देश की प्रति व्यक्ति आय देश की जनसंख्या पर निर्भर है । १३६ करोड से अधिक जनसंख्यावाला हमारा देश चीन के पश्चात सर्वाधिक जनसंख्यावाला देश है । बढती जनसंख्या के कारण देश में उपलब्ध प्रकृतिक साधन सुविधा, विकास दर और आर्थिक स्थिति पर परिणाम हो रहा है । देश की किसी भी मेट्रो, रेल्वे स्टेशन, विमानतल, रास्ते, बस स्थानक, रुग्णालय, बाजार इत्यादि स्थानों पर बहुत भीड होती है । इसलिए सभी सुविधाएं सभी लोगों तक कभी भी नहीं पहुंचती । यह जनसंख्या वृद्धि का भीषण सत्य है । आज देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सक्षम कानून न होने से जनसंख्या बहुत बडे प्रमाण में बढ रही है ।

*** इस विषय में हम कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहते हैं**

१. वर्ष २०११ के जनगणना ब्यौरे की आंकडों के अनुसार वर्ष २००१ से २०११ की अवधि में भारत की मुसलमान जनसंख्या में २४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष १९९१ से २००१ की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का औसतन प्रमाण १८ प्रतिशत थ जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या में २९ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । यह आंकडेवारी ८ वर्षों पूर्व की है और अब इसका प्रमाण कितना होगा, इसका विचार भी न करें तो अच्छा ! परिवारनियोजन न करने की नीति के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है । यह प्रमाण ऐसे ही रहा तो एक दिन यह देश मुसलमानबहुल होगा, इतनी गंभीर स्थिति है । इसी प्रकार अल्पसंख्यांकों के नाम पर केवल मुसलमानों को ही सभी सुविधाएं दिए जाने से हिन्दुओं में बडे प्रमाण में असंतोष है ।

२. देश में कुल जनसंख्या में मुस्लिमों का प्रमाण १३.४ प्रतिशत से अब १४.२ प्रतिशत हो गया है ।

३. देश की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि औसतन ०.८ प्रतिशत है, तो अकेले उत्तरप्रदेश में मुसलमान जनसंख्या वृद्धि औसतन दो प्रतिशत है । आसाम और पश्चिम बंगाल में मुसलमान जनसंख्या वृद्धि का दर देश की जनसंख्या वृद्धि के औसतन से दोगुना है ।

४. आसाम राज्य के मुसलमानों की जनसंख्या हिन्दुओं की तुलना में सर्वाधिक प्रमाण में बढी है । आसाम में वर्ष २००१ में ३०.९ प्रतिशत जनसंख्या बढकर ३४.२ प्रतिशत हो गई है, तथा बंगाल में वर्ष २००१ में मुसलमान २५.२ प्रतिशत थे, तो वर्ष २०११ में यह संख्या बढकर २७ प्रतिशत हुई है । दोनों राज्यों की यह आंकडेवारी देश की जजनसंख्या वृद्धि में कितनी अधिक है ।

५. 'ग्लोबल फूटप्रिंट नेटवर्क' नामक स्वयंसेवी संस्था के अध्ययन के अनुसार हमारे देश में उपलब्ध साधनसुविधाओं की तुलना में देश की जनसंख्या दुगनी है । इन दानों का संतुलन बिगड गया है । इसी में ५ करोड से अधिक बांगलादेशी घुसैठिए मुसलमान, ४० सहस्र से अधिक रोहिंग्या मुसलमान, विसा सीमा समाप्त होने पर भी वापस न लौटे सहस्रों पाकिस्तानी नागरिक इत्यादि के कारण देश के रोजगार और साधनसुविधाओं की लूटमार हो रही है ।

६. जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही हमारे देश में 'जनसंख्या संतुलन' भी बिगड रहा है । एक ही देश में हिन्दू और मुसलमानों के लिए दो अलग कानून अस्तित्व में हैं । प्रचलित भारतीय कानून के अनुसार हिन्दुओं को एक पत्नी का बंधन है; परंतु मुसलमानों को ऐसा बंधन नहीं है । मुसलमान अधिक विवाह और अधिक पत्नी कर सकते हैं । इसलिए परिवारनियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की संकल्पना और उस संदर्भ में जनजागृति केवल हिन्दुओं के लिए ही होती है । परिणाम स्वरूप हिन्दुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बडे प्रमाण में बढती जा रही है । तथा धर्मांतरण, लव-जिहाद इत्यादि के कारण अनेक राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्य हो गए हैं ।

७. पहले की सरकार की नीति के अनुसार जनसंख्या के प्रमाण से अल्पसंख्यांक निश्चित किए जाते थे । इसलिए कश्मीर सहित नागालैंड, मणीपूर और अन्य ८ राज्यों में आज हिन्दुओं की संख्या अत्यंत अल्प होते हुए भी वहां वे अल्पसंख्य नहीं कहलाते । उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती । इसलिए जिन राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्य हैं उनपर इतने वर्ष अन्याय ही हो रहा है । इसके विपरीत अल्पसंख्य के नाम पर मुसलमानों की जनसंख्या अनेक राज्यों में हिन्दुओं की अपेक्षा कितने ही गुना अधिक बढने पर भी वहां शासकीयदृष्टि से वे अल्पसंख्यांक ही हैं और उन्हें सभी जगह सुविधाएं दी जा रही हैं । यह अन्याय है और अल्पसंख्य किसे कहें, उसके निकष क्या हैं ? यह निश्चित करने का अब समय आ गया है ।

*** अत: इस प्रकरण में हमारी मांगे हैं....**

१. 'हम दो, हमारे दो' यह जनसंख्या नियंत्रण का संदेश हिन्दुओं को दिया जाता है; परंतु मुसलमानों को नहीं दिया जाता । परिणाम स्वरूप जनसंख्या संतुलन बिगड रहा है । यह असतुंलन बनाए रखने के लिए 'जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन' करनेवाला और सभी धर्मीयों को लागू होनेवाला कानून तत्काल बनाया जाए ।

२. इस देश में मुसलमानों को विवाह, तथा अन्य कानून लागू न होने के कारण उनकी जनसंख्या बडे प्रमाण में बढ रही है । इसलिए सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है । इसलिए इस देश में समान नागरी कानून लागू कर उसको तुरंत अमल में लाया जाए ।

३. सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम तीन बार समान नागरी कानून लाने की आवश्यकता के बारे में कहा है । इसलिए सरकार न्यायालय की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए त्वरित उपाय घोषित करें ।

आपका विश्वासनीय,

संपर्क :